रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 1973/वैशाख 4, 1895
No. 158] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 1973/VAISAKHA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 24th April 1973

S.O. 245(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs No. S.O. 3609/IDRA/18A/69, dated the 1st September, 1969, read with the Orders of the Government of India, in the Ministry of Foreign Trade Nos. S.O. 616, dated the 3rd February, 1971 and S.O. 3252, dated the 30th August, 1971, the management of the industrial undertaking known as New Victoria Mills Company Limited, Kanpur (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of four years up to and inclusive of the 31st August, 1973;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions and statutory liabilities) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F 11021/129/72-Tex(G).]

D. K. SAXENA, Jt. Secy

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1973

का० आ० 245(अ).—यत भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 616 दिनाक 3 फरवरी, 1971 तथा का० आ० 3252 दिनांक 30 अगस्त, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूनपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3609/आई०डी०आर०ए०/18ए/69 दिनांक 1 सितम्बर, 1969 द्वारा न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है), के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन चार वर्ष की अवधि तक जिसमें 31 अगस्त, 1971 भी सम्मलित है, ग्रहण कर लिया गया है;

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बारे में जन साधारण के हित में अनसूचित उद्योग, अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग, के उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी करने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों तथा कानूनी दायित्वों से सम्बन्धित से भिन्न) सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनाओं, अधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों अथवा अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम अथवा कम्पनी का स्वामित्व करने वाली कोई कम्पनी पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व तद्धीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ।

[सं० फा० 11021/129/72—टैक्स (जी)]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973